

| | | |
|--------------------|--|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>उषा बाटेसर बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या : 94 / 2023 (ऑन लाईन नं. 35386623442)</p> | <p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>04.04.23</p> | <p>अपीलार्थी उषा बाटेसर, पता सेवरों का बास, बाटेसर ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.03.23 में उसके द्वारा (1) आपके अधीनस्थ एसडीएम के समक्ष पेश करने हेतु धारा 107, 116 सीआर.पी.सी. व धारा 151, 107 सीआर.पी.सी. में वकील की जरूरत होती है या नहीं, क्या गैरसायल अपनी खूद पैरवी कर सकता है व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 300 दिनांक 09.03.23 सूचना के बारे में सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 335 दिनांक 22.03.23 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी उषा को इस कार्यालय के पत्र संख्या 300 दिनांक 09.03.23 द्वारा एवं ऑनलाईन सूचित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आपको न्यायालय से संबंधित किन दस्तावेजों/अभिलेखों से संबंधित सूचना की आवश्यकता है। चाही गई सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की है तथा इन चाही गई सूचनाओं की व्याख्या की जानी है, जो प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के अन्तर्गत पेरा-3 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।</p> <p>चूंकि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की होने एवं आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है तथा लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से हम सहमत है, परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> | |